कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 37 / 2021 / ....1996 दिनांक:..16/ 04 / 2024

–:: आदेश ::–

(A)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था. / 09 / 2022 / 6082 दिनांक 16.12.2023 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, **शहरिस्तेदार / रीडर ग्रेड–II / कार्यालय सहायक को दिनांक 01.01.2018 से उक्त शहरिस्तेदार / रीडर ग्रेड–II / कार्यालय सहायक के रिक्त पद पर पदोन्नति दी जाने के फलस्वरूप** राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल–10 (पूर्व वेतनमान PB1-9300-34800 में ग्रेड पे–3600 / –) के अन्तर्गत एतद्द्वारा निम्नानुसार वेतन निर्धारित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम, पद व न्यायालय का नाम (सर्व श्री)	पदोन्नति से पूर्व धारित पद व उक्त पद पर आहरित वेतन	पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की दिनांक व उक्त पद पर वेतन स्थिरीकरण पर मूल वेतन व आगामी वेतनवृद्धि दिनांक
1	2	3	4
1	**श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत** शहरिश्तेदार / रीडर ग्रेड–I न्यायालय:– वाणिज्यिक न्यायालय, क्रम सं0 01, जयपुर महानगर–II	शहरिस्तेदार / रीडर ग्रेड–III 01.07.2017 **40300 / –** **(L-10)**	**01.01.2018** **कर्मचारी द्वारा अपने सेवाकाल में 09 व 18 वर्षीय प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान / ए.सी.पी पर 02 वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त कर लेने के कारण उक्त कर्मचारी को द्वितीय पदोन्नति के पद पर दिनांक 01.01.2018 को वित्तीय उन्नयन का लाभ देय नहीं हैं। अतः श्री शेखावत का उक्त पदोन्नति दिनांक 01.01.2018 को वेतन यथावत रहेगा।**

(B)

इस कार्यालय के उपरोक्त आदेश क्रमांक स्था. / 09 / 2022 / 6082 दिनांक 16.12.2023 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, **को शहरिस्तेदार / रीडर ग्रेड–II / कार्यालय सहायक से रीडर / शरिस्तेदार ग्रेड–I के पद पर दिनांक 13.05.2022 से पदोन्नति दी जाने के फलस्वरूप** उक्त कर्मचारी का राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल–11 (पूर्व वेतनमान PB2 9300-34800 में ग्रेड पे–4200 / –) के अन्तर्गत एतद्द्वारा निम्नानुसार वेतन निर्धारित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम, पद व न्यायालय का नाम	पदोन्नति से पूर्व धारित पद व उक्त पद पर आहरित वेतन	पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की दिनांक व उक्त पद पर वेतन स्थिरीकरण पर मूल वेतन व आगामी वेतनवृद्धि दिनांक
1	**श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत** शहरिश्तेदार / रीडर ग्रेड–I न्यायालय:– वाणिज्यिक न्यायालय, क्रम सं0 01, जयपुर महानगर–II <u>रीडर ग्रेड–I के पद पर पदोन्नति दिनांक 13.05.2022</u>	रीडर–ग्रेड–II दिनांक 01.07.2021 को 45300 / – (L-10) <u>वर्तमान में पूर्व में स्वीकृत वेतन वृद्वियाः–</u> 45300 (L-10)13.05.2022 46700 (L-10)01.07.2022 48100 (L- 10)01.07.2023	**22.12.2023 (A/N)** 13.05.2022 से नोशनल / काल्पनिक लाभ देय हैं 47900 / –(L-11)13.05.2022 49300 / –(L- 11 01.07.2022 50800 / –(L- 11)01.07.2023 कर्मचारी को **काल्पनिक** रूप से **वेतनवृद्वियां** दिनांक......**01.07.2022**..........से.... ....**01.07.2024**.......तक देय होगी एवं वास्तविक फायदे **वित्तीय लाभ** **दिनांकः–........01.07.2025.......** से देय होगें। आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01.07.2024 <u>**नोशनल(काल्पनिक)**</u>

–Sd–
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय

नोटः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत की पदोन्नतियां शहरिस्तेदार ग्रेड/रीडर ग्रेड– द्वितीय व प्रथम पर राजस्थान सरकार कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक सं.एफ.7(1)कार्मिक/क–2/95/पार्ट दिनांकित 16.03.2023 के अनुसार की जाने के कारण श्री शेखावत को पदोन्नत पद पर अधिसूचना/परिपत्र दिनांकित 16.03.2023 व 24.05.2023 में दिये गये निर्देशों अनुसार वित्तीय लाभ निम्नानुसार देय होगें:–
   - श्री शेखावत को द्वितीय पदोन्नति शहरिस्तेदार/रीडर ग्रेड–II/कार्यालय सहायक के पद पर अपने सेवाकाल में 09 व 18 वर्षीय प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान/ए.सी.पी पर 02 वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त कर लेने के कारण कर्मचारी को द्वितीय पदोन्नति के पद पर दिनांक 01.01.2018 को वित्तीय उन्नयन का लाभ देय नहीं हैं अतः श्री शेखावत का उक्त दिनांक को वेतन यथावत रहेगा।
   - श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, को उपरोक्त रीडर ग्रेड–I के पदोन्नत पद पर नियमानुसार दिनांक 23.12.2023 से एवं राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (02 से अधिक संतान होने पर पदोन्नत किये जाने के क्रम में) दिनांकित 16.03.2023 के अनुसार तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्वि काल्पनिक रूप से देय होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् इन्हें ऐसी वेतनवृद्वियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञय/देय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्वियों के लिये कोई बकाया संदत्त नहीं किया जावेगा।
   - उपरोक्त आदेश के अनुसार श्री शेखावत को रीडर ग्रेड–I के पदोन्नत पद पर दिनांक 13.05.2022 से पदोन्नति का लाभ दिये जाने व उक्त दिनांक को किये गये वेतनस्थिरीकरण से तीन पश्चात्वर्ती वर्षों (क्रमशः 2022 ,2023 व 2024)के लिए वार्षिक वेतनवृद्वि काल्पनिक रूप से देय होगी अर्थात दिनांक 01.07.2022, 01.07.203 व 01.07.2024 को स्वीकृत की जाने वाली वेतनवृद्वियां काल्पनिक (नोशनल) रहेगी, जिस पर कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगें।
   - श्री शेखावत को पदोन्नति दिनांक 13.05.2022 से किये वेतनस्थिरीकरण **(मूलवेतन 47900/–) से ही आगामी तीन वर्ष क्रमशः 2022, 2023 व 2024 (अर्थात दिनांक 23.12.2023 से 30.06.2025) तक समस्त वित्तीय लाभ देय होगे।**
   - यदि श्री शेखावत को तीन पश्चात्वर्ती वर्ष 2022, 2023 व 2024 में पदोन्नति दिनांक 13.05.2022 को किये गये वेतनस्थिरीकरण (मूलवेतन 47900/–) के मूलवेतन से यदि पूर्व में किसी वर्ष में अधिक मूलवेतन से वित्तीय लाभ अथवा अधिक वेतन का भुगतान किया गया हैं, तो उसकी नियमानुसार **वसूली की जावें।**
   - श्री शेखावत को पदोन्नति दिनांक 13.05.2022 को किये गये वेतनस्थिरीकरण पश्चात् वित्तीय लाभ वेतनवृद्वि दिनांक 01.07.2025 से देय होगें।

–sd–

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/37/2021/ 1997   दिनांक : 16/04/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय
2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर
3. संबंधित न्यायालय ...., जयपुर महानगर–द्वितीय। (संलग्न सेवापुस्तिकाएं)
4. संबंधित कर्मचारी ....
5. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्र आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय